— 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/73
मुकदमा नम्बर 22/2024

दर्ज दिनांक– 15.02.2024

महेश कुमार शर्मा पुत्र गुलझारी लाल जाति ब्राहमण निवासी डूमरा,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – स्वंय
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 14.05.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम डूमरा की सरहद में खातेदारी भूमि खसरा नं. 153 रकबा 0.84 है0 ,खसरा नं. 86 रकबा 0.26 है0 मे प्रार्थी का नाम महेश पुत्र गुलझारी के स्थान पर महेश कुमार शर्मा पुत्र गुलझारी लाल दर्ज व दुरूस्त किये जाने का आदेश किया जावें।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट कमांक 1264 दिनांक 29/04/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी का सही नाम महेश कुमार शर्मा पुत्र गुलझारी लाल है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम डूमरा की सरहद में खातेदारी भूमि खसरा नं. 153 रकबा 0.84 है0 ,खसरा नं. 86 रकबा 0.26 है0 मे प्रार्थी का नाम महेश पुत्र गुलझारी के स्थान पर महेश कुमार शर्मा पुत्र गुलझारी लाल दर्ज व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

136

Scanned with CamScanner